| हुक्म तारीख | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज<br>F.S.S.Act Case No.20/2022 | नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| 13.7.2022 | पत्रावली पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (एक) रशीक लाल मोढ़ पुत्र गोपाल भाई मोढ़, जाति– मोढ, निवासी– बी–76, रिक्को कॉलोनी, आबूरोड़, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म गुजरात सुपर स्टोर, आर टी ओ चैक पोस्ट, आबूरोड़, जिला– सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी चेतन अग्रवाल पुत्र श्री दिनेश चन्द अग्रवाल, निवासी– आजाद मैदान, आबूरोड़, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म चेतन ट्रेडिंग कम्पनी, बडी सब्जी मण्डी, शीतला माता मन्दिर के सामने, आबूरोड़, जिला– सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी Parasbhai Kanaiyalal Shah, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, निर्माता फर्म Pragati Rice Mil, N H No.8, Bareja, Dascroi, Ahmedabad (Guj.) अनुपस्थित।<br>आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 27.3.2021 को फर्म गुजरात सुपर स्टोर, आर टी ओ चैक पोस्ट, आबूरोड, जिला– सिरोही में प्रतिवादी खाद्य कारोबारकर्ता रशीक लाल मोढ पुत्र गोपाल भाई मोढ, जाति– मोढ, निवासी–बी–76, रिक्को कॉलोनी, आबूरोड़, जिला– सिरोही से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ चावल (तिरंगा ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1402 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./297/Act/2021/395 दिनांक 20.4.2021 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 क्रमशः रशीक लाल व चेतन अग्रवाल को नोटिस की तामिल होने पर नियत सुनवाई तिथि 18.5.2022 को उपस्थित होकर अलग अलग लिखित जवाब प्रस्तुत किये। उसके बाद प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उपस्थित नही हुए। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या–3 ( Parasbhai Kanaiyalal Shah) को नोटिस की पंजीकृत डाक के माध्यम से तामिल होने के बावजूद भी प्रतिवादी संख्या–3 ( Parasbhai Kanaiyalal Shah) उपस्थित नही हुए एवं न ही प्रतिवादी Parasbhai Kanaiyalal Shah की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत हुआ। ऐसी स्थिति में, प्रतिवादी Parasbhai Kanaiyalal Shah के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जा रहा है।<br>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि [illegible] खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.3.2021 को समय 11.00 [illegible] खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म गुजरात [illegible] जिला– सिरोही पर गये। [illegible] मालिक की हैसियत से रशीक लाल [illegible] भाई मोढ, जाति– मो[illegible] निवासी–बी–76, रिक्को कॉलोनी, आबू[illegible] जिला– सिरोही उपस्थि[illegible]<br>.........लगातार | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:52:52 IST
Reason: SelfAttested

| हुक्म तारीख | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज<br>F.S.S.Act Case No.20/2022 | नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|

मिले, जो आम जनता को चावल (तिरंगा ब्राण्ड) बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ चावल (तिरंगा ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय के समक्ष प्रपत्र 5ए में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता प्रतिवादी रशीक लाल मोढ को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान के अन्दर फर्श पर बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ चावल (तिरंगा ब्राण्ड) के 25 किलोग्राम के 5 पैक्ड बैगों में से एक बैग को खोलकर उसमें मौजूद चावल (तिरंगा ब्राण्ड) को अच्छी तरह हिला मिलाकर एक रुप किया एवं इस एकरुप किये हुए खाद्य पदार्थ चावल (तिरंगा ब्राण्ड) में से 4 किलोग्राम चावल (तिरंगा ब्राण्ड) को जांच हेतु एक साफ, सूखे, खाली भिगोने में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 140/– (अक्षरे रुपये एक सौ चालीस मात्र) प्रतिवादी रशीक लाल मोढ को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्यकारोबारकर्ता एवं गवाह को चार साफ, सूखे, खाली प्लास्टिक जार दिखाये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1402, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ चावल (तिरंगा ब्राण्ड) आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा चावल (तिरंगा ब्राण्ड) को चारों जारों में बराबर बराबर मात्रा में भरा एवं चारों जारों को ढक्कन से एयरटाईट बंद किया। प्रत्येक नमूना जार पर एक–एक लेबल लगाया एवं चारों नमूना जारों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1402 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां [illegible] अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों [illegible] सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 30.3.20[illegible] नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बंद लिफाफा [illegible] वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद [illegible] की एवं शेष तीन नमूना भाग व

.......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:52:52 IST
Reason: SelfAttested

प्रति.-जिला अभियोजक
सिरोही–307001

| हुक्म तारीख | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज<br>F.S.S.Act Case No.20/2022 | नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|

फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 27.3.2021 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार,, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म गुजरात सुपर स्टोर, आर टी ओ चैक पोस्ट, आबूरोड़, जिला– सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता रशीक लाल मोढ से खाद्य पदार्थ चावल (तिरंगा ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ चावल (तिरंगा ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1402 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./297/Act/2021/395 दिनांक 20.4.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ चावल (तिरंगा ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी रशीक लाल मोढ पुत्र गोपाल भाई मोड, जाति– मोढ, निवासी– बी– 76, रिक्को कॉलोनी, आबूरोड़ की फर्म गुजरात सुपर स्टोर, आबूरोड़ द्वारा खाद्य पदार्थ चावल (तिरंगा ब्राण्ड) को जरिये बिल टेक्स इनवोईस नम्बर 702 दिनांक 24.3.2022 के द्वारा फर्म चेतन ट्रेडिंग कम्पनी, बडी सब्जी मण्डी, शीतला माता मंदिर के सामने, आबूरोड़ से क्रय किया गया था, जो प्रतिवादी चेतन अग्रवाल की फर्म है। प्रतिवादी चेतन अग्रवाल पुत्र दिनेश चन्द्र अग्रवाल, निवासी– आजाद मैदान, आबूरोड़, जिला– सिरोही द्वारा खाद्य पदार्थ चावल (तिरंगा ब्राण्ड) को फर्म प्रगति राइस मिल, नेशनल हाइवे नम्बर 8 बारेजा, dascroi, Ahmedabad से जरिये बिल टेक्स इनवोईस नम्बर 408 दिनांक 05.9.2019 के द्वारा क्रय किया गया था, जो प्रतिवादी पारसभाई की फर्म है एवं खाद्य पदार्थ चावल (तिरंगा ब्राण्ड) की निर्माता फर्म है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, इसके अनुसार मिथ्याछाप खाद्य सामग्री विक्रय हेतु विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, पैकर व विनिर्माता दोषी है। इस प्रकार,, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ सूजी (शिव शक्ति ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ चावल (तिरंगा ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी रशीक लाल [illegible] भाई मोढ, जाति– मोढ, निवासी– बी–76, रिक्को कालो[illegible] जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक फर्म [illegible] चैक पोस्ट, आबूरोड़, जि[illegible] (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) [illegible] पुत्र श्री दिनेश चन्द अग्रवाल, निवासी– आजाद मैदान, आ[illegible], जिला– सिरोही, खाद्य

.........लगातार


Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:52:52 IST
Reason: SelfAttested


प्रति. जिला अभिहित
सिरोही–307001.

| हुक्म तारीख | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज<br>F.S.S.Act Case No.20/2022 | नम्बर व तारीख जो हुक्म हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| | कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म चेतन ट्रेडिंग कम्पनी, बडी सब्जी मण्डी, शीतला माता मन्दिर के सामने, आबूरोड़, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है तथा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ चावल (तिरंगा ब्राण्ड) के विक्रय, पैकिंग व निर्माण हेतु प्रतिवादी Parasbhai Kanaiyalal Shah, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, निर्माता फर्म Pragati Rice Mil, N H No.8, Bareja, Dascroi, Ahmedabad (Guj.) पर राशि रुपये 15,000/– (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि उन पर आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 17.8.2022 को पेश हो।<br><br>(के.आर.खौड़)<br>अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट<br>सिरोही | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:52:52 IST
Reason: SelfAttested